


## // आदेश //

जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के ऐलाटमेन्ट की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय से जारी आदेश संख्या 310 /जी०एस०टी०/2023-24/ वाणिज्य कर दिनांक 22-07-2023 से श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ तथा श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु नामित किया गया था। श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक द्वारा (दिनांक 09-12-2024 से 05-02-2025 तक) वाल्य देखभाल अवकाश पर जाने के कारणों से आदेश संख्या-310/जी०एस०टी०/2023-24/ वाणिज्य कर दिनांक 22-12-2023 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 83 में विहित प्रक्रिया के अनुसार जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु उक्त अवधि के लिए उनके स्थान पर श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक को नामित किया जाता है। श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ पूर्ववत अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी।

आई०टी०अनुभाग, मुख्यालय के स्तर से कॉमन पोर्टल पर श्रीमती रश्मि अवस्थी को आंवटित "GSTN Approval Role" श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक को दिये जाने तथा श्रीमती रश्मि अवस्थी की लॉगिन आई०टी० पर उपलब्ध अनिस्तारित प्रार्थना पत्रों को श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक की लॉगिन आई०टी० पर ट्रांसफर करना सुनिश्चित करेंगे।

इस कार्यालय से जारी आदेश सं०-334/जी०एस०टी०/2018-19/ वाणिज्य कर दिनांक 25-06-2018 यथासंशोधित आदेश संख्या-जी०एस०टी०/2020-21/213/ वाणिज्य कर दिनांक 24-08-2020 एवं जी०एस०टी०/2021/720/ वाणिज्य कर, दिनांक 11-03-2022, जी०एस०टी०/ 2023-24/704/ वाणिज्य कर, दिनांक 29-12-2023 एवं जी०एस०टी०/ 2024-25 / 310 / राज्य कर दिनांक 22-07-2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

  
(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त, राज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं०// तद्दिनांकित उक्त।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 2 संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को वॉछित कार्यवाही / वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3 संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 5 श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त (जी०एस०टी०)  
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

## // आदेश //

जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के ऐलाटमेन्ट की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय से जारी आदेश संख्या 310/जी०एस०टी०/2023-24/ वाणिज्य कर दिनांक 22-07-2023 से श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ तथा श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु नामित किया गया था। श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक द्वारा (दिनांक 09-12-2024 से 05-02-2025 तक) वाल्य देखभाल अवकाश पर जाने के कारणों से आदेश संख्या-310/जी०एस०टी०/2023-24/ वाणिज्य कर दिनांक 22-12-2023 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 83 में विहित प्रक्रिया के अनुसार जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु उक्त अवधि के लिए उनके स्थान पर श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक को नामित किया जाता है। श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ पूर्ववत् अपने दायित्वों का निवर्हन करती रहेंगी।

आई०टी०अनुभाग, मुख्यालय के स्तर से कॉमन पोर्टल पर श्रीमती रश्मि अवस्थी को आवंटित "GSTN Approval Role" श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक को दिये जाने तथा श्रीमती रश्मि अवस्थी की लॉगिन आई०डी० पर उपलब्ध अनिस्तारित प्रार्थना पत्रों को श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक की लॉगिन आई०डी० पर ट्रांसफर करना सुनिश्चित करेंगे।

इस कार्यालय से जारी आदेश सं०-334/जी०एस०टी०/2018-19/ वाणिज्य कर दिनांक 25-06-2018 यथासंशोधित आदेश संख्या-जी०एस०टी०/2020-21/213/ वाणिज्य कर दिनांक 24-08-2020 एवं जी०एस०टी०/2021/720/ वाणिज्य कर, दिनांक 11-03-2022, जी०एस०टी०/2023-24/704/ वाणिज्य कर, दिनांक 29-12-2023 एवं जी०एस०टी०/2024-25/310/ राज्य कर दिनांक 22-07-2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।


(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त, राज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं०// तद्दिनांकित उक्त।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 2 संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को वॉद्धित कार्यवाही / वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3 संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 श्रीमती डी० शिखा हर्षवर्द्धन, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 5 श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त आयुक्त (जी०एस०टी०)  
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।